न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–6, अयोध्या।

पीठासीनः दीपिका तिवारी, ...उच्चतर न्यायिक सेवा, जे०ओ० कोड–यू.पी. 2719

दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या–351/2025
CNR No. UPFZ010064252025
Computer Registration No. 396/2025

सीताराम यादव पुत्र जगराम यादव निवासी ग्राम बांकी चौर भिटेहरा, थाना रुधौली, जनपद–बस्ती।

–––––––निगरानीकर्ता

बनाम

1. सरकार उत्तर प्रदेश

2. संजय कुमार शुक्ला पुत्र राम प्यारे शुक्ला, निवासी शिवदासपुर अयोध्या प्रोपराइटर श्री शुक्लाजी कान्सट्रक्शन कम्पनी निवासी बाग विजेश्वर मणि पर्वत रोड, थाना कोतवाली अयोध्या, जनपद अयोध्या।

–––––––विपक्षीगण।

निर्णय

1. प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण, निगरानीकर्ता सीताराम यादव द्वारा विद्वान अवर न्यायालय अपर सिविल जज (जू.डि.) द्वितीय, अयोध्या (फैजाबाद) द्वारा परिवाद संख्या–2483/2024 संजय कुमार शुक्ला बनाम सीताराम, अंतर्गत धारा–406, 420 भा.दं.सं., थाना कोतवाली अयोध्या, जिला अयोध्या में पारित आदेश दिनाँकित 16.04.2025 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है जिसमें विद्वान अवर न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता को धारा–406, 420 भा.दं.सं. में विचारण हेतु तलब किये जाने का आदेश पारित किया गया है।

2. रिवीजन कर्ता द्वारा रिवीजन निम्न आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि–

(i) यह कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पत्रावली पर परिवादी द्वारा दिये गये तथ्य व बयान तथा साक्षीगण के बयान का बगैर सम्यक ढंग से अवलोकन किये तथ्य, परिस्थितियों व बगैर ध्यान दिये आदेश पारित कर महान भूल की गयी है। परिवादी द्वारा अवर न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 25.01.2023 को अन्तर्गत धारा–156(3) सी.आर.पी.सी. प्रस्तुत किया गया जिस पर न्यायालय द्वारा वह प्रार्थना पत्र परिवाद के रुप मं दर्ज होकर साक्ष्य 200 सी.आर.पी.सी., 202 सी.आर.पी.सी. कराया गया जिस पर अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 16.04.2025 को तलबी आदेश पारित किया गया है।

Digitally signed by Deepika Tiwari
Date: 2026.07.31 16:41:25 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

(ii) यह कि अवर न्यायालय के समक्ष परिवादी द्वारा जो 200 सी.आर.पी.सी. की साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है, उसके अनुरुप कहीं भी धारा–420 भा.दं.सं. की साक्ष्य नही प्रस्तुत की गयी है। इन सब तथ्यों को नजरअंदाज कर अवर न्यायालय द्वारा आदेश पारित कर महान भूल की गयी है।

(iii) यह कि धारा–202 के साक्ष्य को बगैर परिशीलन किये आदेश पारित कर महान भूल की गयी है।

(iv) यह कि अवर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत परिवाद में कुछ बिल व चालान का उल्लेख किया गया है, वह बिल व चालान परिवादी के स्वयं का है, कहीं ऐसी कोई बिल व रसीद नही प्रस्तुत की गयी है कि कोई भी भट्ठे पर कोयले की प्राप्ति निगरानीकर्ता व उसके किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गयी हो, ऐसी स्थिति में अवर न्यायालय द्वारा बगैर साक्ष्य व परिवाद में उल्लिखित तथ्यों तथा परिवाद में संलग्नक परिपत्र का बगैर परिशीलन किये आदेश पारित कर महान भूल की गयी है।

(v) यह कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश साक्ष्य व विधि के विपरीत है, कोई भी आरोप जो लगाये गये हैं, जिसमें अवर न्यायालय द्वारा तलब किया गया है, ऐसा कोई अपराध आयत नही होता है।

(vi) यह कि परिवादी द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है, उस साक्ष्य के अनुसार निगरानीकर्ता के विरुद्ध कोई अपराध नही बनता है।

(vii) यह कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरुद्ध व कानून के मंशा के विपरीत होने के कारण हर दशा में निरस्त होने योग्य है।

अतः निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार करते हुए अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.04.2025 को निरस्त करने की प्रार्थना की गयी।

3. रिविजन के समर्थन में रिविजनकर्ता द्वारा आलोच्य आदेश दिनांकित 16.04.2025 की सत्यप्रति कागज संख्या 4 ब व प्रतिलिपि आधार कार्ड दाखिल की गयी है।

4. मैंने, रिविजनकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विपक्षी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्य का तथा आलोच्य आदेश दिनांकित 16.04.2025 का सम्यक अवलोकन किया।

5. दाण्डिक निगरानी के मामले में निगरानी न्यायालय को यह देखना होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई तात्विक अनियमितता, अवैधानिकता अथवा क्षेत्राधिकार से परे आदेश पारित तो नहीं किया गया है, क्योंकि निगरानी न्यायालय मामले की तथ्य परक जाँच नहीं कर सकती, न ही अपने निष्कर्ष को तथ्यों पर अवलम्बित कर सकती है जब तक कि यह साबित नहीं हो कि प्रश्नगत आदेश (परवर्स) है।

6. इस न्यायालय के समक्ष विचाराणीय प्रश्न है कि "क्या विद्वान अवर न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश दिनांकित– 16.04.2025 विधिक सिद्धांतो एवं क्षेत्राधिकार के अन्तगर्त पारित किया है?

7. विधि के प्रावधानों पर यदि विचार किया जाये तो **धारा 397 दं०प्र०सं०** के अनुसार पुनरीक्षण न्यायालय को, अवर न्यायालय द्वारा पारित किसी दण्डादेश या आदेश की **शुद्धता, वैधता या औचित्य** के बारे

में तथा किन्हीं कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में विचार करना होता है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि धारा 397 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत निगरानी न्यायालय का क्षेत्राधिकार बहुत सीमित होता है। नियमितता तथा विचारण न्यायालय की प्रक्रिया पर विचार करना होता है। यही सिद्धान्त **माननीय उच्चतम न्यायालय ने अमित कपूर बनाम रमेशचन्द, (2012) 9 S.C.C. 460** के प्रकरण में प्रतिपादित किया है जिसमें उल्लिखित किया गया है कि धारा 397 एवं धारा 401 दं०प्र०सं० के प्राविधानों के अन्तर्गत निगरानी न्यायालय का क्षेत्राधिकार बहुत सीमित है। निगरानी न्यायालय को निगरानी के स्तर पर साक्ष्य का विश्लेषण/मूल्यांकन अथवा पुनर्मूल्यांकन की शक्तियां प्राप्त नहीं है, अपितु निगरानी न्यायालय को केवल विचारण न्यायालय के आदेश की वैधानिकता, औचित्यता तथा नियमितता के संबंध में सतुष्टि करनी होती है। मैंने रिविजनकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ०) को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

8. पत्रावली के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि परिवाद संख्या 2483/2024, संजय कुमार शुक्ला बनाम सीताराम यादव आदि में पारित आदेश दिनांक–16.04.2025, के द्वारा विद्वान अवर न्यायालय ने निगरानीकर्ता के विरुद्ध प्रथम दृष्टया धारा–406, 420 भा०द०स० के अन्तर्गत अपराध के आधार पर्याप्त पाते हुए उसे जरिए सम्मन तलब किया गया है, जिससे क्षुब्द होकर पुनरीक्षणकर्ता द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

9. प्रस्तुत प्रकरण में विद्वान अवर न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता को धारा–406, 420 भा०द०स० के अन्तर्गत तलब किया गया है। न्यायालय के समक्ष विचारणीय यह है कि क्या शिकायतकर्ता द्वारा लगाये गये आरोप धारा–406, 420 भा०द०स० के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आते हैं अथवा नही? उक्त के सन्दर्भ में धारा–406, 420 भा०द०स० का अवलोकन अनिवार्य है जो कि इस प्रकार है–

धारा 406 भा०दं०सं०– आपराधिक न्यासभंग के लिए दण्ड– जो कोई आपराधिक न्यासभंग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

धारा 420 भा०द०स०–छल करना और सम्पत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना–जो कोई छल करेगा और तदद्वारा उस व्यक्ति का, जिसे प्रवंचित किया गया है, बेईमानी से उत्प्रेरित करेगा कि वह कोई सम्पत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे, या किसी भी मूल्यवान प्रतिभूति को, या किसी चीज को, जो हस्ताक्षरित या मुद्रांकित है, और जो मूल्यवान प्रतिभूति से सम्परिवर्तित किये जाने योग्य है, पूर्णतः या अंशतः रच दे, परिवर्तित कर दे, या नष्ट कर दे, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

10. भारतीय दण्ड संहिता की **धारा–405 के तहत परिभाषित आपराधिक न्यासभंग** (Criminal breach of trust) के अपराध के लिए निम्नलिखित तत्व अनिवार्य हैं–

(i) आरोपी को सम्पत्ति अथवा सम्पत्ति पर अधिकार सौंपा गया था।

(ii) आरोपी ने बेइमानी से उस सम्पत्ति का गबन किया या उसे अपने इस्तेमाल में ले लिया, या बेइमानी से उस सम्पत्ति का अपने उपयोग के लिए रुपान्तरण या गबन किया गया।

(iii) सम्पत्ति का उक्त गबन, इस्तेमाल अथवा रुपान्तरण कानून के किसी निर्देश या कानूनी अनुबंध (समझौते) का उल्लंघन करके किया गया।

11. भारतीय दण्ड संहिता की धारा–420 भा०द०सं० के तहत धोखाधड़ी के आवश्यक तत्व–
(i) किसी व्यक्ति को झूठा या भ्रामक बयान देकर या अन्य कार्यवाही या चूक द्वारा धोखा देना,
(ii) कपटपूर्ण या बेइमानी से किसी व्यक्ति को कोई सम्पत्ति सौंपने के लिए प्रेरित करना,
(iii) किसी व्यक्ति को किसी सम्पत्ति को अपने पास रखने की सहमति देना और अन्ततः उस व्यक्ति को जानबूझकर कुछ ऐसा करने या न करने के लिए प्रेरित करना जो वह नही करना चाहता या करना चाहता है।

12. उपरोक्त वर्णित आवश्यक तत्वों को वर्तमान प्रकरण पर लागू करने पर यह स्पष्ट होता है कि शिकायतकर्ता/वादी की शिकायत में उपरोक्त तत्वों में से किसी का भी उल्लेख नही है, मात्र लिए गये सामान का क्रय मूल्य न देना/अनुबंध भंग करने और आपराधिक विश्वासघात एवं धोखाधड़ी के अपराध में सूक्ष्म अंतर है। धोखाधड़ी के मामले में प्रलोभन देते समय आरोपी की मंशा का आकलन किया जाना अनिवार्य है, मात्र अनुबंध भंग करने से धोखाधड़ी का अपराध आपराधिक मुकदमा तब तक नही चलाया जा सकता जब तक कि लेनदेन के शुरुआत से ही यानी कि अपराध घटित होने के समय से ही, कपटपूर्ण या बेइमान इरादा प्रदर्शित न हो। अतः यही इरादा/मंशा अपराध का मूल तत्व है जबकि आपराधिक विश्वासघात के लिए सम्पत्ति आरोपी को सौंपी गयी होनी चाहिए या उस पर उसका स्वामित्व होना चाहिए। जिस सम्पत्ति के संबंध में विश्वासघात का अपराध किया गया है, वह या तो आरोपी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की होनी चाहिए या उसमें लाभकारी हित या स्वामित्व किसी अन्य व्यक्ति का होना चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में यह विशेष रुप से सन्दर्भित है कि माल की बिक्री के मामले में, माल की डिलीवरी होते ही सम्पत्ति विक्रेता से क्रेता को हस्तानान्तरित हो जाती है, एक बार माल की बिक्री क्रेता को हस्तानान्तरित हो जाने के बाद, यह नही कहा जा सकता कि क्रेता को विक्रेता की सम्पत्ति सौंपी गयी थी। सम्पत्ति सौंपे बिना आपराधिक विश्वासघात संभव नही है। [Vide :**Delhi Race Club (1940) Ltd. vs The State of Uttar Pradesh, 2024 SCC Online SC 2248**] इसलिए इस मामले में कोयले के माल की बिक्री के प्रतिफल राशि का भुगतान न करने के लिए आपराधिक विश्वासघात के आरोप में निगरानीकर्ता को तलब किया जाना पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण है। शिकायतकर्ता द्वारा क्रय किये गये कोयले पर निगरानीकर्ता द्वारा देय भुगतान राशि 17,99,065/– रुपये दीवानी मुकदमे के जरिए प्राप्त करने के लिए शिकायतकर्ता के पास पर्याप्त माध्यम हैं परन्तु इसके लिए निगरानीकर्ता पर आपराधिक मुकदमा नही बनता है। विशेषकर जबकि शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं अपने परिवाद पत्र के पैरा–3 में यह स्वीकार करते हुए अंकित किया गया है कि "प्रार्थी ने विपक्षी सीताराम यादव (भूतपूर्व जिला पंचायत सदस्य) S/o जगराम यादव निवासी बांकी चौर, भिटेहरा, रुदौली, जिला बस्ती से कोयले का व्यापार एक लम्बे समय से उसके 'अमर ब्रिक फील्ड' जिसका GSTIN 09AAYPY6536B1ZY है, नामित भट्ठे से करता चला आ रहा था और बराबर व्यापार के चलते कभी नगद और कभी उधार भी होने लगा था।" तथा धारा–202 द०प्र०सं० के अन्तर्गत दर्ज बयान में साक्षी फौजदार सिंह ने यह कथन किया है कि "मैं संजय शुक्ला की फर्म श्री शुक्लाजी कन्सट्रक्शन कम्पनी में काम करता हूं जहां कोयले की सप्लाई होती है। विपक्षी सीताराम यादव जो अमर ब्रिक फील्ड भट्ठे के मालिक हैं और अपने भट्ठे के लिए संजय शुक्ला से कोयला लेते चले आ रहे थे और नगद उधार भी चलता था।" उपरोक्त से यह स्पष्ट होता है कि शिकायतकर्ता एवं रिवीजनकर्ता के बीच में व्यापारिक संबंध थे एवं व्यापारिक संबंध के चलते उनके बीच में सामान का लेनदेन हुआ जिसके चलते शिकायतकर्ता द्वारा निगरानीकर्ता को कोयला भट्ठे पर उपयोग हेतु समय–समय पर दिया गया जिसके कारण निगरानीकर्ता पर 17,99,065 रुपये का बकाया हो गया। उक्त धनराशि को निगरानीकर्ता चुकाने में असमर्थ रहा जिससे यह कदापि परिलक्षित नही होता है कि उसकी मंशा शुरु से शिकायतकर्ता के साथ आपराधिक विश्वासघात या धोखाधड़ी करने की थी। प्रकरण पूर्णतः सिविल प्रकृति का है।

13. इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विधि निर्णय **Delhi Race Club (1940) Ltd. vs The State of Uttar Pradesh, 2024 SCC Online SC 2248** में पारित सिद्धान्त इस प्रकार है–

7. ...It is no doubt true that in this very decision this Court has enumerated certain illustrations as to when the order of Magistrate issuing process against the accused can be quashed or set aside. These illustrations are as under :— "(1) Where the allegations made in the complaint or the statement of the witnesses recorded in support of the same taken at their face value make out absolutely no case against the accused or the complaint does not disclose the essential ingredients of an offence which is alleged against the accused. (2) Where the allegations made in the complaint are patently absurd and inherently improbable so that no prudent person can ever reach a conclusion that there is sufficient ground for proceeding against the accused. (3) Where the discretion exercised by the Magistrate in issuing process is capricious and arbitrary having been based either on no evidence or on materials which are wholly irrelevant or inadmissible; and (4) Where the complaint suffers from fundamental legal defects, such as want of sanction or absence of a complaint by legally competent authority and the like."

20. In Mehmood Ul Rehman v. Khazir Mohammad Tunda reported in (2015) 12 SCC 420, this Court held thus: — "22... The satisfaction on the ground for proceeding would mean that the facts alleged in the complaint would constitute an offence, and when considered along with the statements recorded, would, prima facie, make the accused answerable before the court... **In other words, the Magistrate is not to act as a post office in taking cognizance of each and every complaint filed before him and issue process as a matter of course.** There must be sufficient indication in the order passed by the Magistrate that he is satisfied that the allegations in the complaint constitute an offence and when considered along with the statements recorded and the result of inquiry or report of investigation under Section 202 of CrPC, if any, the accused is answerable before the criminal court, there is ground for proceeding against the accused under Section 204 of CrPC, by issuing process for appearance. Application of mind is best demonstrated by disclosure of mind on the satisfaction... To be called to appear before criminal court as an accused is serious matter affecting one's dignity, self respect and image in society. Hence, the process of criminal court shall not be made a weapon of harassment." (Emphasis supplied)

26. Further, in both the aforesaid sections, mens rea i.e. intention to defraud or the dishonest intention must be present, and in the case of cheating it must be there from the very beginning or inception.

27. In our view, the plain reading of the complaint fails to spell out any of the aforesaid ingredients noted above. We may only say, with a view to clear a serious misconception of law in the mind of the police as well as the courts below, that if it is a case of the complainant that offence of criminal breach of trust as defined under Section 405 of IPC, punishable under Section 406 of IPC, is committed by the accused, then in the same breath it cannot be said that the accused has also committed the offence of cheating as defined and explained in Section 415 of the IPC, punishable under Section 420 of the IPC.

28. Every act of breach of trust may not result in a penal offence of criminal breach of trust unless there is evidence of manipulating act of fraudulent misappropriation. An act of breach of trust involves a civil wrong in respect of which the person may seek his remedy for damages in civil courts but, any breach of trust with a mens rea, gives rise to a criminal prosecution as well.

14. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विधि निर्णय **Manish vs The State Of Maharashtra, 2025 INSC 430 decided on 2 April 2025** में पारित सिद्धान्त प्रस्तुत प्रकरण के लिए अवलोकनीय है जो इस प्रकार है–

14.There is no cavil that in some cases a commercial dispute may give rise to a criminal offence in addition to a civil cause of action. The test to determine whether a case would attract penal consequences is as follows:–

"Did the offending party make dishonest representation at the inception of the transaction and induce the other party to part with property, or act in a manner which but for such representation, the latter would not have done."

15. प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता/ विपक्षी संख्या–2, संजय कुमार शुक्ला द्वारा धारा–156(3)द०प्र०सं०/ परिवाद पत्र का प्रार्थना पत्र न्यायालय में इस आधार पर प्रेषित किया गया कि वह अपनी रजिस्टर्ड फर्म से कोयले की सप्लाई का कार्य करता है तथा निगरानीकर्ता सीताराम यादव उसकी फर्म से कोयले का व्यापार एक लम्बे समय से अपनी कम्पनी अमर ब्रिक फील्ड नामक भट्ठे हेतु करता चला रहा है। निगरानीकर्ता द्वारा शिकायतकर्ता से उसकी रजिस्टर्ड फर्म से अपने भट्ठे में उपयोग हेतु वर्ष 2018–19 के बीच कोयले की सप्लाई प्राप्त की जाती रही जिसका बकाया रुपया 17,99,065/– हो गया था। शिकायतकर्ता द्वारा लगातार निगरानीकर्ता से अपने बकाया रकम की मांग जरिए मोबाइल और स्वयं भट्ठे पर जाकर की गयी परन्तु निगरानीकर्ता द्वारा रकम के भुगतान के बावत आजकल करते हुए टालमटोल किया जाता रहा। शिकायतकर्ता ने निगरानीकर्ता को दिनांक 30.09.2023 को जरिए लीगल नोटिस यह हिदायत दी कि नोटिस प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर निगरानीकर्ता, शिकायतकर्ता की बकाया राशि रुपये 17,99,065/– को मय लीगल नोटिस खर्च मु० 5500/– रुपये के अदा करे।

16. यहां यह सन्दर्भित है कि आपराधिक मामले में आरोपी को तलब किया जाना एक गंभीर मामला है और आपराधिक कानून को मनमाने ढंग से यूं ही लागू नही किया जा सकता। आरोपी को तलब करने के मजिस्ट्रेट के आदेश में यह परिलक्षित होना चाहिए कि उन्होंने मामले के तथ्यों एवं लागू कानूनों पर गंभीरता से विचार किया है। विद्वान मजिस्ट्रेट को साक्ष्यों की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए और वह इस क्रम में शिकायतकर्ता और उसके गवाहों से प्रश्न भी पूछ सकते हैं ताकि आरोपों की सत्यता का पता लगाया जा सके और फिर यह जांच की जा सके कि सभी या किसी आरोपी द्वारा प्रथम दृष्टया कोई अपराध किया गया है या नही। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 16.04.2025 के परिशीलन से विदित होता है कि न्यायालय ने अपने आदेश में निगरानीकर्ता को तलब किये जाने के कोई आधार व्यक्त नही किया है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में केवल शिकायतकर्ता के धारा–200 दं०प्र०सं० के बयान को अंकित करते हुए यह लिखा है कि "शेष साक्षी द्वारा धारा–202 द०प्र०सं० के बयान में भी परिवाद पत्र व धारा–200 द०प्र०सं० में लिखे गये बयान का समर्थन किया है... अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी से कोयला लेकर पैसा वापस न करने का आरोप है।" विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त सीताराम की आपराधिक विश्वासघात व धोखाधड़ी में उसकी मंशा पर कोई आधार व्यक्त न करते हुए निगरानीकर्ता को आलोच्य आदेश में तलब किया है। प्रस्तुत प्रकरण पूर्णतः व्यापारिक लेनदेन से संबंधित है एवं सिविल प्रकृति का है। परिवादी, अभियुक्त द्वारा वापस नही की गयी देय बकाया राशि को प्राप्त करने के लिए रिकवरी सूट डालने के लिए स्वतंत्र है।

17. उपरोक्त विवेचना एव माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गयी विधि व्यवस्थायों में दिये गये सिद्धांतों के आधार पर न्यायालय का यह मत का है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश विधि के अनुसार पारित आदेश प्रतीत नहीं होता है, जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत होती है। आदेश में अवैधानिकता, तात्विक अनियमितता बरती गयी है, अतः निगरानी में बल है। अवर न्यायालय के द्वारा पारित आदेश

दिनाकित 16.04.2025 में हस्तक्षेप की आवश्यकता है। अतः रिवीजनकर्ता द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक रिवीजन स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

रिविजनकर्ता की ओर से प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी सं०–351/2025, सीताराम यादव बनाम राज्य आदि, स्वीकार की जाती है।

विद्वान अवर न्यायालय अपर सिविल जज (जू.डि.) द्वितीय, अयोध्या (फैजाबाद) द्वारा परिवाद संख्या–2483/2024 संजय कुमार शुक्ला बनाम सीताराम, अंतर्गत धारा–406, 420 भा.दं.सं., थाना कोतवाली अयोध्या, जिला अयोध्या में पारित आदेश दिनाँकित 16.04.2025 निरस्त किया जाता है।

निर्णय की एक प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को मूल पत्रावली के साथ प्रेषित की जाये व प्रस्तुत निगरानी की पत्रावली अभिलेखागार दाखिल की जाये।

दिनांक: 31.07.2026

(दीपिका तिवारी)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–6, अयोध्या।
जे०ओ० कोड–यू.पी. 2719

यह निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में दिनांकित व स्वहस्ताक्षरित कर, सुनाया गया।

दिनांक: 31.07.2026

(दीपिका तिवारी)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–6, अयोध्या।
जे०ओ० कोड–यू.पी. 2719